म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./ बी–6/नियमन/अक्रियाशील अनु0/525/3097 भोपाल,दिनांक30/01/2018

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
ऑचलिक कार्यालय (समस्त).

2. अध्यक्ष/सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)

विषयः–कृषि उपज मंडी समिति के अक्रियाशील अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता की मंडी अनुज्ञप्ति निरस्त करने के संबंध मे।

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियो मे **34965** अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता अनुज्ञप्त है।

2/ म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 31 मे मंडी क्षेत्र मे "अधिसूचित कृषि उपजो के विपणन कार्य करने वाले व्यक्तियों के विनियमन" एवं धारा 32 मे "ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति मंजूर करने की शक्ति" प्रावधानित है। मंडी क्षेत्र मे अधिसूचित कृषि उपजो का व्यापार करने इच्छुक व्यक्ति ही मंडी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त करते है। अतः प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने कारोबार के प्रसामान्य क्रम मे कृषि उपज के उत्पादको को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हुये, मंडी अधिनियम, नियम एवं उपविधियो के अधीन कृषि उपजो का क्रय विक्रय संपन्न करे अन्यथा व्यापार न करने की स्थिति मे अपनी अनुज्ञप्ति मंडी समिति को समर्पित कर दे।

3/ यह संज्ञान मे आया है कि कतिपय अनुज्ञप्तिधारक अपना प्रसामान्य कारबार चलाने से प्रविरत रहे है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे अनुज्ञप्तिधारियो से उत्पादको को, मंडी मे प्रतिस्पर्धा का कोई लाभ प्राप्त नहीं होकर इस प्रकार की अनुज्ञप्ति अकियाशील होकर मंडी के हित मे औचित्यहीन हो गई है। ऐसे कतिपय अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता द्वारा मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानो का उल्लघंन किया जा रहा है।

4/ यह भी संज्ञान मे आया है कि उक्त अक्रियाशील अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता के द्वारा मंडी/उप प्रागंणो मे धारित भूमि/निर्मित संरचना का धारणाधिकार भी कायम किया हुआ है जबकि वे अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय–विक्रय से संबंधित कोई कारबार नहीं कर रहे है। ऐसी स्थिति मे उनके द्वारा धारित भूमि/निर्मित संरचना का आवंटन भी उद्देश्यहीन हो गया है।

5/ मण्डी/उप मण्डी प्रांगण में भूमि/निर्मित संरचना ऐसे अक्रियाशील व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता को धारित/आवंटित होने के कारण जो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता मंडी/उपमंडी प्रागंण मे अधिसूचित कृषि उपज का नियमित क्रय–विक्रय कर रहे है, उन्हें भूमि/निर्मित संरचना उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता जो विगत पांच वर्षो से मंडी/उप मण्डी प्रागंण मे अधिसूचित कृषि उपजो के घोष विक्रय मे भाग नहीं ले रहे है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादको को मंडी मे प्रतिस्पर्धा का उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है ऐसी निरर्थक, निरउद्देश्य एवं निष्क्रिय अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों/प्रसंस्करणकर्ता की, म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 33(4) तथा सहपठित उपविधि 19 के विहित प्रावधानो के अध्याधीन मंडी अनुज्ञप्ति निरस्त करे एवं म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 के नियम 17(तीन) के विहित तथा तत्समय प्रचलित विभिन्न नियमों/निर्देशों/अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत, उन्हें आवंटित भूमि/निर्मित संरचना को निरस्त कर भूमि/संरचना का रिक्त अधिपत्य प्राप्त कर नियमानुसार क्रियाशील अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता को आवंटन की कार्यवाही कर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करते हुये प्रतिवेदन प्रेषित करें।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./ बी–6/नियमन/ अक्रियाशील अनु0/525/3098 भोपाल,दिनांक30/01/2018

प्रतिलिपि :– कृपया सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल (समस्त)।
3. अपर संचालक/उप संचालक (प्रागंण), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. नियमन शाखा/वित्त शाखा/प्रागंण शाखा/नवीन मंडी शाखा/ एम0आई0एस शाखा/शिकायत शाखा/भंडार शाखा/गार्ड फाईल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल